न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
राजेन्द्र बनाम भूमिधारी
प्रा0 पत्र सं. 565/2022

31/10/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम बिहारीपुर तहसील पाटन के हाल खाता संख्या 69 खसरा नं0 1349/126, 1350/1126 की खातेदारी में प्रार्थी के दादा श्योकरण के पिता का नाम मोती दर्ज है जो कि गलत है। क्योंकि उक्त भूमि के गत ख0 नं0 892/1007 थे की जमाबन्दी संवत 2012, व संवत 2037 तक रिकार्ड में प्रार्थी के दादा श्योकरण के पिता का नाम गणेश दर्ज है जो सही नाम है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ खतौनी जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग संवत 2012, जमाबन्दी संवत 2034–37 की प्रतियां प्रस्तुत की है जिनमें प्रार्थी के दादा श्योकरण के पिता का नाम गणेश दर्ज है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टी गलत है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
बिहारीपुर	खाता संख्या 69	श्योकरण पुत्र मोती	श्योकरण पुत्र गणेश

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)